प्ररूप–2

ग्राम: –
ई–मेल–

फोनः
फैक्सः

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मुजफ्फरनगर

संख्याकः एच0सी0–मान्यता/ 520-25 /2015–16 तारीखः 28 अप्रैल 2015

प्रबन्धक,

आर0जी0 पब्लिक स्कूल,
बेहडा सादात,
विकास खण्ड–मोरना,
जनपद– मुजफ्फरनगर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 02.07.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती के प्रति निर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.3.2015 में लिए गये निर्णय तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),मेरठ/सहारनपुर मण्डल के अद्योहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्रांक प्रबन्ध/7397/ 2014–15 दिनांक 31.3.2015 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांक मान्यता/9492–93/ 2014–15 दिनांक 31.3. 2015 के द्वारा विद्यालय के आवेदन शुल्क, आवेदनपत्र,संदान कोष, समिति रजिस्ट्रेशन, नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाणपत्र, अग्निशमन प्रमाणपत्र, भवन किरायानामा तथा कक्षा कक्षों की नाप का पुनः सत्यापन कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई।

गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपने पत्रांक 1029/2015–16 दिनांक 28.4.2015के द्वारा विद्यालय के सम्बन्ध में विद्यालय के किये गये स्थलीय निरीक्षण तथा प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में दी गई सत्यापन आख्या तथा संस्तुति के आधार पर, मैं **आर0जी0 पब्लिक स्कूल, बेहडा सादात, विकास खण्ड–मोरना जनपद– मुजफ्फरनगर** को तारीख 30.3.2015 से तारीख 29.3.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी –माध्यम)** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2001(उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक

आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–हीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यो का पालन करता है, और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	115200 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्रफल	38400 वर्ग फीट
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	76800 वर्ग फीट
कक्षों की संख्या	18 कक्ष
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	है।
बाधारहित पहुंच	है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियो के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।

प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14—आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्यांक MZN- 23/2015 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17— संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(कौस्तुभ कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— शिक्षा निदेशक (बेसिक),निशात गंज,लखनऊ।
2— अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), इलाहाबाद।
3— सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),सहारनपुर /मेरठ मण्डल।
5— सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।
6— कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर